

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-4576  
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत वितरण कंपनियां

**4576. डॉ. थोल तिरुमावलवन:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक ही क्षेत्र में एक या दो विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुमानित देने से केवल एक या दो कम्पनियों का ही एकाधिकार होता है;

(ख) यदि हां, तो है क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम पांच कम्पनियों का होना अनिवार्य घोषित किया जाए, ताकि कार्यकुशलता बढ़ाने की सरकार की अपेक्षा पूरी हो सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 वितरण क्षेत्र में लाइसेंसधारियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोग एक ही क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए अनेक लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

\*\*\*\*\*